मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 19675/22/वि–9/आरजीएम/96 **भोपाल, दिनांक 5/12/96**

आदेश क्र. – 10 / जलग्रहण क्षेत्रा विकास

प्रति,

1. **अध्यक्ष (समस्त)**
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

2. **कलेक्टर, (समस्त)**
   मध्यप्रदेश

3. **कार्यपालक निदेशक, (समस्त)**
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

4. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत (समस्त)

5. **परियोजना अधिकारी,**
   मिली जलग्रहण क्षेत्रा (समस्त)

विषय : राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न योजनान्तर्गत दिशा–निर्देश।

जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश 25–7–95, आदेश क्रमांक – 4 दिनांक 8–11–95, आदेश क्रमांक – 5 दिनांक 1–12–95, आदेश क्रमांक – 6 दिनांक 4–3–96, आदेश क्रमांक – 7 दिनांक 16 –5–96, आदेश क्रमांक – 8 दिनांक 3–9–96 एवं आदेश क्रमांक – 9 दिनांक 15–11–96 को जारी किए गए हैं। उन आदेशों के तारतम्य में जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम पर यह अगला आदेश है। कृपया इस परिपत्रा को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड एवं जनपद पंचायत कार्यालय में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

1. राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के अंतर्गत जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन उपचार कार्यों के अतिरिक्त आस्था मूलक कार्य भी योजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाते है। आस्था मूलक कार्यों का उद्देश्य कार्यकारी ऐजेंसियों (पी.आई.ए.) द्वारा लिये जाने वाले कार्यों के प्रति चयनित माइक्रोवाटरशेड के सम्बन्धित गांव के निवासियों के बीच सहयोग एवं सहभागिता की भावना उत्पन्न करने के साथ–साथ कार्यक्रम के प्रति अपनत्व पैदा करना है, ताकि ग्रामीण समाज कार्यकारी ऐजेंसी को अपना हितैषी मानें। इस मद में व्यय उन कार्यों/जरूरतों को पूरा करने में किया जाना चाहिये, जिन्हें सम्पूर्ण ग्रामीण समाज जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन कार्यों से भी अधिक जरूरी समझता है। परन्तु कतिपय जिलों से प्राप्त जानकारी से आभास होता है कि आस्था मूलक कार्यों के क्रियान्वयन में उपरोक्त

उद्देश्यों को पूर्णतया प्राप्त नहीं किया गया है और सम्पन्न आस्था मूलक कार्य जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन की अवधारणा एवं उद्देश्य को आगे बढ़ाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहे हैं। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में आस्था मूलक कार्यों को पुनः निम्नानुसार सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित किया जाता है :–

1.1 आस्था मूलक कार्यों का उद्देश्य –

आस्था मूलक कार्यों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- पी.आई.ए. एवं ग्रामीण समाज के बीच मधुर सम्बन्ध संस्थापित करना,
- ग्रामीण समाज की अनिवार्य एवं अति आवश्यक ज्वलन्त समस्या हल करना
- ग्रामीण समाज से सार्थक सम्वाद प्रारंभ करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही आस्थामूलक कार्य किये जावें।

1.2 आस्था मूलक मद में लिये जाने वाले कार्यों की सूची –

ग्रामीण विकास विभाग, भारत शासन की जलग्रहण क्षेत्रा विकास मार्गदर्शिका के पैरा–70 में निर्देशित है कि आस्थामूलक कार्यों के अंतर्गत ग्रामीण समाज की सहमति उपरांत निम्न कार्य लिये जा सकते हैं :–

- गांव के धार्मिक सिलि की मरम्मत,
- सामुदायिक भवन का सुधार,
- निस्तार सुविधाओं की स्थिति में सुधार,
- पेय जल समस्या का निदान – हेन्ड पम्प मरम्मत,
- शाला भवन की अनिवार्य जरूरतें,
- ग्रामीण समाज के जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्य जिससे अधिकांश समाज लाभान्वित हो,
- ग्राम की मूलभूत सुविधाओं का निस्तार,
- स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन,
- बजार केन्द्र का सुधार,
- तलाब गहरीकरण, इत्यादि

डपरोक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त जनहित के अन्य कार्य भी सम्पन्न कराये जा सकते हैं परन्तु इन कार्यों से अधिकांश ग्राम वासियों को लाभ होना चाहिये तथा कार्यों से पैरा एक में वर्णित लाभ सुनिश्चित होना चाहिये।

1.3 आस्था मूलक कार्यों के लिये योगदान –

आस्था मूलक कार्यों के योगदान के लिये निम्न मानक निर्धारित किये जाते हैं :–

1.3.1 आस्थामूलक कार्यों के लिये कार्य लागत का न्यूनतम 25 प्रतिशत योगदान (नगद, सामग्री या श्रम के रूप में) निर्धारित किया जाता है। योगदान के बिना आस्थामूलक कार्य सम्पन्न नहीं किये जा सकेंगे।

1.3.2 आस्थामूलक कार्यों के लिये योगदान का निर्णय ग्राम सभा में लिया जावेगा।

1.3.3 आस्थामूलक कार्यों के लिये योगदान सभी परिवारों द्वारा समान रू‍प से समान मात्राा में दिया जावेगा।

1.3.4 प्राप्त योगदान ग्राम स्तर पर संधारित जलग्रहण क्षेत्रा विकास खाते में जमा किया जावेगा।

1.4 आस्था मूलक कार्य स्वीकृत कराने की प्रक्रिया

आस्था मूलक कार्यों को स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड को निम्न प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है :–

1.4.1 प्रस्तावित कार्यों की सूची के अनुसार कार्यों का ब्यौरा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

1.4.2 प्रस्तावित कार्य के अंतर्गत लिये जाने वाले सूक्ष्म विवरण, उनकी ड्राईंग, उनपर होने वाला व्यय इत्यादि; किसी भी कार्य पर अधिकतम रू. पचास हजार व्यय किया जा सकता है ;

1.4.3 ग्राम सभा का लिखित अनुमोदन जिसके साथ विशद कार्य विवरण संभावित व्यय, प्राक्कलन योगदान इत्यादि संलग्न होंगे;

1.4.4 ग्राम सभा के लिखित अनुमोदन (पैरा 3.3 के अनुसार) के साथ परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा डी.आर.डी.ए. को प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण;

1.4.5 यह स्वीकृति डी.आर.डी.ए. के कार्यपालक निदेशक द्वारा दी जावेगी। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन सलाहकार समिति में इसका अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। सुविधा अनुसार जिले में इस प्रक्रिया में पहले जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय भी लिया जा सकता है।

पैरा 1.4.5 में उल्लेखित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा आस्थामूलक कार्य प्रारंभ किये जावेंगे।

1.5 आस्था मूलक कार्य सम्पन्न कराने के प्रक्रिया –

आस्थामूलक कार्यों को सम्पन्न कराने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1.5.1 डी.आर.डी.ए. से प्राप्त स्वीकृति की सम्पूर्ण जानकारी (स्वीकृति राशि, कार्य की मात्राा इत्यादि) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम सभा को पी.आई.ए. द्वारा सूचित की जावेगी;

1.5.2 ग्राम सभा को अवगत कराने के उपरांत परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड आस्थामूलक कार्य को स्वीकृत प्राक्कलन एवं ड्राईंग के अनुरूप सम्पादित करावेंगे;

1.5.3 स्म्पादित आस्थामूलक कार्य ठेकेदार के माध्यम से नहीं कराया जावेगा ;

1.5.4 परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा सामग्री क्रय में शासन के खरीदी नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जावेगा ;

1.5.5 परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा कार्य प्रगति एवं व्यय से समय–समय पर ग्राम सभा को अवगत कराया जावेगा;

1.5.6 कार्य समाप्त होने पर परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड ग्राम सभा के समक्ष व्यय के विवरण प्रस्तुत करेंगे।

1.6 आस्थामूलक कार्य का लेखा–जोखा – आस्थामूलक कार्यों का लेखा–जोखा, परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा संधारित किया जावेगा। इस लेखे का आडिट डी.आर.डी.ए. द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों तथा प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।

2. आस्था मूलक कार्यों के अंतर्गत जनहित के लिये कोई भी अभिनव ;पददवअंजपअमद्ध कार्य हाथ में लिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप झाबुआ जिले में एक ग्राम में स्वावलंबी दल (भ्ळ) के माध्यम से संचालित एक केरोसीन जनरेटर से सोलह घरों में शाम को बिजली एवं स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की गई है।

3. आस्था मूलक कार्य जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन गतिविधियों का अभिन्न अंग है परन्तु इनका उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण समाज की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति है। ये कार्य किसी भी रूप में सामान्य निर्माण कार्य नहीं हैं और न ही ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा संपन्न किये जाने वाले निर्माण कार्यों के विकल्प है अतः इन्हें किसी भी शर्त पर निर्माण कार्यों के विकल्प के रूप सम्पन्न नहीं किया जावे। इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि इन कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यकता से अधिक समय लगाकर आगे कार्यों के प्रारंभ नहीं किये जाने के लिये बहाना न बनने दिया जावे। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा आस्था मूलक मद में लिये कार्य से सम्पूर्ण ग्रामीण समाज तन एवं मन से कार्यक्रम से कार्यक्रम से न केवल संबद्ध होता है वरन मोटे तौर पर सम्पूर्ण समाज लाभान्वित होता है। कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं समय–समय पर ली गई बैठक के कार्यवाही विवरण से विकास आयुक्त एवं मिशन संचालक को अवगत कराये।

(आर. परशुराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 19675/22/वि–9/आरजीएम/96 **भोपाल, दिनांक 5/12/96**

प्रतिलिपि :–

1. **निज सहायक, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।**
2. **निज सहायक, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।**
3. **मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर।**
4. **कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।**
5. **विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।**
6. **प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग/आदिम जाति, अनु.जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ योजना विभाग /योजना विभाग/ विज्ञान एवं टेक्नालॉजी विभाग, भोपाल।**
7. **सचिव, म.प्र. शासन, कृषि विभाग/ सहकारिता विभाग/ ग्रामोद्योग विभाग / लोक स्वास्थ्य यांत्रिाकी विभाग/ वन विभाग/ जल संसाधन विभाग, भोपाल।**
8. **मिशन कोआर्डीनेटर, राजीव गांधी मिशन (सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र.) भोपाल।**
9. **संचालक, राजीव गांधी ग्रामोद्योग मिशन, भोपाल।**
10. **संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल।**
11. **संचालक, राजीव गांधी घेंगा डायरिया उन्मूलन मिशन, भोपाल।**

12. संचालक, राजीव गांधी मत्स्य पालन विकास मिशन, भोपाल।

13. संचालक, राजीव गांधी प्रोद्योगिकी मिशन, भोपाल।

14. संभागीय आयुक्त (समस्त) म.प्र.।

15. संचालक, कृषि, मध्यप्रदेश, भोपाल।

16. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

18. महानिदेशक, सुदूर संवेदन उपयोगिता केन्द्र (मेपकास्ट) म.प्र. भोपाल।

19. निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, म.प्र., भोपाल।

20. संचालक, सी.जी.डब्ल्यू.बी., ई–2/145, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।

(बी.व्ही.आर.सुब्रमण्यम्)
संचालक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन
मध्यप्रदेश शासन